तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.12.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत आलमास मे पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एंव तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. प. किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी मांडल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:09:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 21/21 प्रा.पत्र

1- श्री उगमा s/o तुलसा बलाई निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तह मांडल --प्रार्थी

बनाम

1- श्री भैरू s/o श्री मांगू गाडरी निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तह मांडल (अन्य) --विपक्षीगण (सहखातेदार/काश्तकार)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 8.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काशीराम जी की खेड़ी पटवार हल्का आरजिया तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 110, 745 कुल किता 02 रकबा 1.9096 हेक्टेयर — स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8.12.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम जी की खेड़ी पटवार हल्का आरजिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 110, 745 कुल किता 02 रकबा 1.9096 हेक्टेयर — भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक आरजिया को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:09:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021